रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

REGD. No. D. L.-33002/99



एस.जी.-डी.एल.-अ.-16062023-246572 SG-DL-E-16062023-246572

> असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176]	दिल्ली, बुधवार, जून 14, 2023/ज्येष्ठ 24, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 92
No. 176]	DELHI, WEDNESDAY, JUNE 14, 2023/ JYAISHTHA 24, 1945	[N. C. T. D. No. 92

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पुरातत्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 जून, 2023

स.फा. 2(4) / स्था0 / पुरा. / 2023 / 1447. — गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27 / 59—एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 03 / 09 / 1981 की अधिसूचना संख्या फा. 2(83) / 80 / सेवा –II के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'रसायन सहायक' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ।
 - (1) इन नियमों को पुरातत्व विभाग, रसायन सहायक भर्ती नियमावली 2023 कहा जाएगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर।

उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यता इत्यादि।

उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता।

ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह का अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति।

जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव |**

इन नियमों की किसी भी बात का भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5 4			
1.	पदनाम	:	रसायन सहायक
2.	पदों की संख्या	:	01* (2023)
			*इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय अराजपत्रित,
			समूह 'ग'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर –5
			(29200-92300 / - रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं ।
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए	:	18 वर्ष एवं 27 वर्ष के बीच ।
	आयु सीमा		टीप –1 केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों
			के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिये 40 वर्ष तक
			शिथिलनीय ।
			टीप –2 आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि डीएसएसएसबी⁄सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञाप्ति होगी।

अनुसूची

-	IV DELHI GAZET	ГЕ : Е	EXTRAORDINARY 3
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र संरक्षण में स्नातक उपाधि ।
			2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक संस्थान या संग्रहालय से जैविक या अजैविक सामग्रियों के विश्लेषण या परीक्षण में एक वर्ष का अनुभव ।
			टीप -1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। टीप -2 : यदि चयन के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी का मत है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो इस मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव के संबंध में छूट दी जा सकती है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं ।
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष।
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / सांवधिक या स्वायत्त निकाय/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के निम्नलिखित अधिकारी:– क. (1) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) वेतन मैट्रिक्स के स्तर –4 के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष : तथा (ख) कालम 7 के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं रखने वाले । टीप – केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अन्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।

12. यदि कोई विमागीय पदोन्नति समिति हो : विभागीय स्थाईकरण समिति :		
विभागीय स्थाईकरण समिति :		
 प्रधान सचिव / सचिव (ऊर्जा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष सचिव (क0सं०भा0 / पुरातत्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य उप सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार –सदस्य 		
टीप : यदि समिति के अधिसूचित अध्यक्ष के, समिति के अन्य सदस्य से कनिष्ठ होने की स्थिति में विभागीय स्थाईकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य स्थाईकरण पर विचार करने के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।		
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।		

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

चोखा राम गर्ग, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

NOTIFICATION

Delhi, the 14th June 2023

No.F.2(4)/Estt./Archy./2023/1447.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification number F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959 and in supersession of the notification of this Government, published vide notification No. F.2(83)/80-S.II dated 03/09/1981 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of 'Chemical Assistant' in the Department of Archaeology, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short Title and Commencement.

(1)These rules may called the Department of Archaeology, Chemical Assistant Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of Posts, its classification and level in pay matrix.

The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (11) of the said Schedule.

4. Disqualifications.

No persons, -

- (a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Competent Authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

1.	Name of Post.	Chemical Assistant
2.	Number of Posts.	01 * (2023) *Subject to variation dependent on workload
3.	Classification.	General Central Service Non Ministerial, Non- Gazetted, Group C
4.	Pay Level in the Pay Matrix.	Level – 5 (Rs. 29200-92300)
5.	Whether Selection Post / Non-Selection Post.	Not applicable
6.	Age limits for Direct Recruits.	Between 18 years and 27 years. Note 1 : The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
		Note 2 : The crucial date for determining the age- limit shall be as advertised by the DSSSB/ Competent Authority.

SCHEDULE

	DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV	
7.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Essential :
		1. Bachelors Degree in Chemistry from a recognized University.
		2. One year experience in the Analysis or Testing of organic or inorganic materials from a recognized University or scientific institution of Archaeological Department or Museum.
		Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.
		Note 2 : The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to scheduled castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved from them.
8.	Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.	Not applicable
9.	Period of Probation if any.	Two years for direct recruits.
10.	Method of Recruitment.	By deputation (ISTC) failing which by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	Deputation (ISTC) : Officers from the Central Government/ State Governments/ Union Territory Administrations/ Public Sector Undertakings/ Statutory or Autonomous Bodies/ Recognized Universities/ Recognized Research Institutes : (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or (ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-4 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/ department;
		AND (b) possessing the educational qualifications

.KT	DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY	
		prescribed in Column 7.
12.		Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the application.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Departmental Confirmation Committee:
		1. Principal Secretary/ Secretary (Power), GNCT of Delhi : Chairperson
		2. Secretary (ACL/Archaeology), GNCT of Delhi : Member
		3. Deputy Secretary (Finance), GNCT of Delhi: Member
		Note : Senior most member of the Departmental Confirmation Committee for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Committee.
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

CHOKHA RAM GARG, Secy. (ACL)